राजस्थान सरकार

न्यायालय नायब तहसीलदार गुड़ामालानी

प्रकरण संख्या 10 / 2022

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
राजस्थान सरकार जरिये हल्का पटवारी भाखरपुरा		कृष्ण चन्द मोडाराम कौम कलबी निवासी मधा की ढाणी, तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू – राजस्व अधिनियम 1956

दिनांक 22.11.2022

निर्णय

प्रकरण से संक्षिप्त में तथ्य निम्न प्रकार है कि पटवारी हल्का भाखरपुरा ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा मधा की ढाणी राजकीय भूमि ख.न. 759/491 रकबा 143.15 बीघा किस्म गै.मु. गोचर में से 1.18 बीघा पर(बाड़ बनाकर) अनाधिकृत कब्जा कर रखा है। अतः अप्रार्थी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने तथा उक्त भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया। पटवारी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये।

सुनवाई की नियत तिथि दिनांक 22.11.2022 को प्रार्थी उपस्थित, गैर सायल उपस्थित, गैर सायल द्वारा मौखिक रूप से बताया गया की हमारा उक्त भूमि पर अतिक्रमण नहीं है लेकिन अतिक्रमण नहीं होने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज, साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि हल्का पटवारी भाखरपुरा द्वारा उक्त खसरे पर अतिक्रमण के सम्बन्ध में रिपोर्ट पेश की जिसमें अतिक्रमण होना पाया गया, अतः अतिक्रमण साबित होने से गैर सायल के विरूद्व अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

हमने पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया। प्रश्नगत भूमि सरकारी भूमि है जिस पर अप्रार्थी का अनाधिकृत कब्जा साबित होता हैं। अतः अप्रार्थी को उक्त भूमि का अतिक्रमी घोषित किया जाकर लगान 2.60 रूपये का राउण्ड अप 03 रूपये का 50 गुना शास्ति आरोपित करते हुए 150 रूपये का जुर्माना आरोपित किया जाता है। अप्रार्थी को उक्त भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। तथा बेदखली एवं जुर्माना वसूली हेतु हल्का पटवारी, ILR तथा मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार सूचित हो।

निर्णय आज दिनांक 22.11.20[illegible] सुनाया गया ।
पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Saran
Date: 2023.01.20 15:11:57 IST
Reason: SelfAttested

(बन्नाराम चौधरी)
नायब तहसीलदार गुड़ामालानी